

श्री कुणाल सिल्कू जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर की अध्यक्षता में एण्टी भू-माफिया टास्क फोर्स व अन्य बिन्दुओं पर आयोजित समीक्षा बैठक दिनांक 19.07.2017 की कार्यवृत्त:-

**उपस्थिति—**

1. सर्वश्री कुणाल सिल्कू	जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर।
2. श्री अनिल कुमार मिश्र	मुख्य विकास अधिकारी, सिद्धार्थनगर।
3. „ प्रमोद शंकर शुक्ला	अपर जिलाधिकारी,(वि. / रा.),सिद्धार्थनगर।
4. " अरविन्द मिश्र	अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर।
5. डा० राजेन्द्र कपूर	मुख्य चिकित्साधिकारी, सिद्धार्थनगर।
6. „ एस०पी० सिंह	जिला होम्यो चिकित्साधिकारी,सिद्धार्थनगर।
7. श्री सुदामा प्रसाद	जिला विकास अधिकारी, सिद्धार्थनगर।
8. „ सन्त कुमार	परियोजना निदेशक, सिद्धार्थनगर।
9. डा. महेन्द्र कुमार मीणा	उपजिलाधिकारी नौगढ़।
10. श्री प्रबुद्ध सिंह	उपजिलाधिकारी बांसी।
11. „ सत्य प्रकाश सिंह,	उपजिलाधिकारी शोहरतगढ़।
12. „ जुबेर बेग	उपजिलाधिकारी इटवा।
13. „ राजेन्द्र प्रसाद	उपजिलाधिकारी, डुमरियागंज।
14. „ अनिल कुमार सिंह	जिला पंचायत राज अधिकारी सिद्धार्थनगर।
15. " राजेश सिंह	एस०एल०ए०ओ०, सिद्धार्थनगर।
16. " मनीराम सिंह	वेसिक शिक्षा अधिकारी सिद्धार्थनगर।
17. " उमेश चन्द्र तिवारी	उपायुक्त मनरेगा सिद्धार्थनगर।
18. „ एस०के० ओझा	अधि. अभि., विद्युत, सिद्धार्थनगर।
19. " आर०बी० शर्मा	अधि. अभि., विद्युत, डुमरियागंज,सिद्धार्थनगर।
20. " रविशंकर यादव	सहायक अभियन्ता,डेनेज खण्ड,सिद्धार्थनगर।
21. „ ओम प्रकाश अजोर	बन्दोबस्त अधिकारी,चकबन्दी,सिद्धार्थनगर।
22. डा० आर०बी०	जिला विद्यालय निरीक्षक, सिद्धार्थनगर।
23. " मदन मोहन वर्मा	तहसीलदार नौगढ़।
24. " राजेश कुमार जायसवाल	तहसीलदार बांसी।
25. " संतोष कुमार सिंह	तहसीलदार डुमरियागंज।
26. " मेवालाल	तहसीलदार इटवा।
27. „ मंजूर अहमद	तहसीलदार शोहरतगढ़।
28. " सी.पी. गुप्ता	अधि. अभि., लो.नि.वि. प्रा.खण्ड सिद्धार्थनगर।
29. " भूपेश मणि त्रिपाठी	अधि. अभि., पी.डब्ल्यू.डी. निर्माण खण्ड-1,बांसी।
30. „ गुलाब सिंह	बी०डी०ओ० नौगढ़।
31. „ ओ०पी० दूबे	बी०डी०ओ० बांसी।
32. „ अशोक कुमार दूबे	बी०डी०ओ० इटवा / भनवापुर।
33. „ विवेक मणि त्रिपाठी	विकास खण्ड-उसका बाजार।
34. „ विद्यामणि त्रिपाठी	बी०डी०ओ० जोगिया।
35. " राजेश कुमार जायसवाल	तहसीलदार बांसी।

36. .. अजय कुमार त्रिपाठी	जिला कार्यकर्म अधिकारी, सिद्धार्थनगर।
37. .. नरेन्द्र तिवारी	जिला पूर्ति अधिकारी, सिद्धार्थनगर।
38. .. अश्वनी कुमार	नायब तहसीलदार, नौगढ़।
39. .. जयदीप दूबे	थानाध्यक्ष, इटवा।
40. .. शमसेर सिंह	थानाध्यक्ष, शोहरतगढ़।
41. .. अनिरुद्ध कुमार मिश्र	एल.बी.ओ.सी. कलेक्ट्रेट सिद्धार्थनगर।
42. .. राजाराम	डी.एल.आर.सी. कलेक्ट्रेट सिद्धार्थनगर।

आज दिनांक 19.07.2017 को एप्टी भू-माफिया सम्बन्धी बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत कराया गया कि मुख्य सचिव, उम्प्र० शासन राजस्व अनुभाग-2 लखनऊ एवं मा० राजस्व परिषद, उम्प्र०, लखनऊ के निर्देशानुसार गांवसभा/सरकारी भूमि/सम्पत्ति पर अवैध कब्जा/अतिकमण एवं भू-माफिया चिन्हित करने विषयक दिनांक 01.05.2017 से 30.06.2017 तक की समय सीमा व्यतीत हो चुका है। आप लोगों द्वारा गांवसभा/विभागीय भूमियों/सम्पत्तियों पर अवैध कब्जा/अतिकमण के जो भी प्रकरण चिन्हित किये गये हैं, उन्हें शासन के निर्देशानुसार अब अवैध कब्जा मुक्त करने की कार्यवाही किया जाना है। उक्त के कम में अतिकमित भूमियों/सम्पत्तियों से कब्जा हटाना एवं भू-माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर किया जाना है।

समीक्षा बैठक के दौरान जनपद स्तर पर संकलित विभागवार/तहसीलवार प्राप्त विवरण पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रारूप-अ पर सभी तहसीलों से गांव सभा की जमीन पर अवैध कब्जे की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें जनपद में कुल 131.38 हेक्टर भूमि पर 4205 अवैध कब्जेदारों के प्रकरण चिन्हित किये गये हैं। प्राप्त सूचना में तहसील-नौगढ़ में चिन्हित गांवसभा की 28.253 हेक्टर भूमि पर 1008 अतिकमणकर्ताओं द्वारा कब्जा किया गया है, जिनमें से 4.680 हेक्टर भूमि पर 168 अवैध कब्जेदारों से अवैध कब्जे हटाये गये हैं। इसी प्रकार तहसील-बांसी में चिन्हित गांवसभा की 14.893 हेक्टर भूमि पर 939 अतिकमणकर्ताओं द्वारा कब्जा किया गया है, जिनमें से 3.108 हेक्टर भूमि पर 335 अवैध कब्जेदारों से अवैध कब्जे हटाये गये हैं। इसी प्रकार तहसील-दुमरियांगंज में चिन्हित गांवसभा की 27.186 हेक्टर भूमि पर 812 अतिकमणकर्ताओं द्वारा कब्जा किया गया है, जिनमें से 2.768 हेक्टर भूमि पर 125 अवैध कब्जेदारों से अवैध कब्जे हटाये गये हैं। इसी प्रकार तहसील-इटवा में चिन्हित गांवसभा की 22.299 हेक्टर भूमि पर 525 अतिकमणकर्ताओं द्वारा कब्जा किया गया है, जिनमें से 1.038 हेक्टर भूमि पर 108 अवैध कब्जेदारों से अवैध कब्जे हटाये गये हैं तथा तहसील-शोहरतगढ़ में चिन्हित गांवसभा की 38.753 हेक्टर भूमि पर 921 अतिकमणकर्ताओं द्वारा कब्जा किया गया है, जिनमें से 14.732 हेक्टर भूमि पर 126 अवैध कब्जेदारों से अवैध कब्जे हटाये गये हैं। इसके अतिरिक्त सभी तहसीलों में अवशेष प्रकरणों से अवैध कब्जे हटाये जाने हेतु सभी उपजिलाधिकारी/तहसीलदार को को निर्देशित किया गया। अवैध कब्जे से सम्बन्धित जिन प्रकरणों में किसी न्यायालय में वाद विचाराधीन है, उन वादों में पैरवी कर उनके निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। इसके अतिरिक्त जिन प्रकरणों में कोई वाद लम्बित नहीं है, अर्थात् अवैध कब्जे के नये प्रकरण या कच्चे मकान बनाकर, झोपड़ी रखकर कब्जा किया गया है। ऐसे प्रकरण में अवैध कब्जेदारों को नोटिस देकर कब्जा हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

प्रारूप-ब पर शासकीय भूमि/सम्पत्ति पर विभागवार सूचना प्राप्त हुयी है, जिनमें लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड के अवैध कब्जेदारों की संख्या-32 है, ड्रेनेज खण्ड के अवैध कब्जेदारों की संख्या-314 है, पी०डब्लू०डी० निर्माण खण्ड-1 तहसील-दुमरियांगंज के अन्तर्गत अवैध कब्जेदारों की संख्या-803 है व तहसील इटवा के अन्तर्गत अवैध कब्जेदारों की संख्या 440 है।

पीडब्लूडी प्रान्तीय खण्ड तहसील शोहरतगढ़ के अन्तर्गत 57 अवैध कब्जेदारों के प्रकरण हैं। स्वास्थ्य विभाग में अवैध अतिकमण के 06 प्रकरण हैं। अधिशासी अभियन्ता, विद्युत में अवैध अतिकमण के 05 प्रकरण हैं। वेसिक शिक्षा विभाग के अवैध अतिकमण के 63 प्रकरण हैं। चकबन्दी विभाग से सम्बन्धित अवैध कब्जे के 04 प्रकरण हैं। नगर पालिका परिषद रिहार्थनगर में 07 प्रकरण, नगर पालिका परिषद बांसी में 115 प्रकरण, नगर पंचायत शोहरतगढ़ में 18 प्रकरण एवं नगर पंचायत बढ़नी में 11 प्रकरण हैं। इनमें से तहसील-बांसी अन्तर्गत पी0डब्लू0डी0 निर्माण खण्ड-1 की 0.050 हेक्टेक्यू भूमि पर अतिकमित, 10 अवैध कब्जे हटाये गये। तहसील-शोहरतगढ़ अन्तर्गत पी0डब्लू0डी0 निर्माण खण्ड-1 की 0.013 हेक्टेक्यू भूमि पर अतिकमित 01 अवैध कब्जे हटाये गये। तहसील-शोहरतगढ़ अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित 05 अवैध कब्जे हटाये गये। शेष सभी विभागों के सम्बन्धित अधिकारीगण को निर्देशित किया गया कि अवैध कब्जे से सम्बन्धित जो भी नये प्रकरण कच्चे निर्माण झुग्गी-झोपड़ी, चाय अथवा पान की दुकान करके अवैध कब्जे किये गये हैं, उनके कब्जेदारों को नोटिस देकर शीघ्र अवैध कब्जे वाली भूमि/सम्पत्ति को अतिकमण मुक्त कराया जाय। जिन प्रकरणों में राजस्व/दीवानी/मा. न्यायालयों में वाद विचाराधीन हैं, उसके अद्यतन स्थिति की सूचना उपलब्ध कराये तथा साथ ही साथ उन वादों में त्वरित गति से निस्तारण हेतु अपने स्तर से पैरवी सुनिश्चित कराये। यह भी निर्देशित किया गया कि अवैध कब्जे/अतिकमण के प्रकरण जो भी चिन्हित किये गये हैं, उनसे कब्जा हटाने की कार्यवाही प्रत्येक दशा में सुनिश्चित की जाय। इसमें किसी भी प्रकार की उदासीनता न बरती जाय। नगर निकाय के अधिशासी अधिकारियों को जिन प्रकरण में पी.पी. एक्ट के अन्तर्गत मुकदमा लम्बित है, उसमें तीव्र गति से पैरवी करने हेतु कड़े निर्देश दिये गये।

भू-माफिया चिन्हित करने विषयक विवरण पत्र के अवलोकन से पाया गया कि चिन्हित भूमाफिया तहसील बांसी में उनके कब्जे में 4.579 हेक्टेक्यू भूमि पायी गयी, जिनमें से 2.128 हेक्टेक्यू खाली करायी जा चुकी है। तहसील शोहरतगढ़ के भूमाफियाओं द्वारा 7.457 हेक्टेक्यू पर अवैध कब्जा चिन्हित किया गया था, जिनमें समस्त भूमियों से अवैध कब्जा हटावाते हुये भूमि खाली करायी जा चुकी है। शेष तहसीलों नौगढ़, दुमरियागंज व इटवा के उपजिलाधिकारीगण/अन्य सम्बन्धित विभागीय अधिकारीगण को विर्द्धेशित किया गया कि भूमाफियाओं के कब्जे वाली भूमि/सम्पत्ति को शीघ्र अतिकमण मुक्त कराने की कार्यवाही की जाय। अवैध अतिकमण/कब्जा हटाने में जहौं शांति व्यवस्था भंग होने की सम्भावना हो, ऐसे प्रकरण में पत्राचार करके आवश्यक पुलिस बल की व्यवस्था पूर्व में सुनिश्चित करके कार्यवाही की जाय। यह भी ध्यान रहें कि गांव सभा की भूमि/सम्पत्ति, राजकीय भूमि/सम्पत्ति से अवैध कब्जा/अतिकमण हटाने तथा भूमाफिया के विरुद्ध कार्यवाही करने में शांति व्यवस्था भी सुनिश्चित रखें।

समीक्षा बैठक के दौरान अद्योहस्ताक्षरी द्वारा सभी उपजिलाधिकारी, नगरीय क्षेत्र से सम्बन्धित सभी विभागीय अधिकारी एवं सभी अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत को यह निर्देशित किया गया कि गांवसभा, नगरीय क्षेत्र की भूमियों/सम्पत्तियों एवं राजकीय भूमियों/सम्पत्तियों एवं चिन्हित भू-माफियाओं के अवैध कब्जे वाली भूमियों/सम्पत्तियों पर से अवैध कब्जा/अतिकमण हटाने हेतु विशेष अभियान चलाये जाने हेतु आप लोगों को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। अभियान हेतु दिनांक 25.07.2017 प्रातः 8.00 बजे से तिथि नियत की गयी है। उक्त तिथि से पूर्व आप लोग पुलिस विभाग के अधिकारी से (क्षेत्राधिकारी/थानाध्यक्ष) से सम्पर्क स्थापित कर, कार्यक्रम निर्धारित कर कार्ययोजना तय कर लें। सभी विभागीय अधिकारी, सम्बन्धित उपजिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी व थानाध्यक्ष से सम्पर्क स्थापित कर अवैध कब्जा/अतिकमण हटाने विषयक कार्यक्रम तय कर लें, यदि कहीं अवैध कब्जा/अतिकमण हटाने में कोई बाधा आने की या शांति भंग की आशंका हो तो आवश्यक पुलिस बल की व्यवस्था भी सुनिश्चित कर ली जाय। यह भी ध्यान रहे कि चिन्हित अवैध कब्जा/अतिकमण हटाने के सम्बन्ध में शांति व्यवस्था प्रभावित न हो।

इसके अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया गया कि तहसीलदार/तहसीलदार (न्यायिक) के न्यायालयों में जहाँ धारा-122 वी/115 सी के मुकदमे में बेदखली के आदेश हो गये हैं, परन्तु उनमें मौके पर निष्पादन की कार्यवाही जैसे मौके से अवैध कब्जे हटाने, क्षतिपूर्ति वसूलने की कार्यवाही लम्बित है। ऐसे प्रकरणों को चिन्हित कर एक तिथि तय कर लें, और उसके लिये भी एक अभियान लम्बित है। ऐसे प्रकरणों को चिन्हित कर एक तिथि तय कर लें, और उसके लिये भी एक अभियान लम्बित है। ऐसे प्रकरणों को चिन्हित कर एक तिथि तय कर लें, और उसके लिये भी एक अभियान लम्बित है। ऐसे प्रकरणों को चिन्हित कर एक तिथि तय कर लें, और उसके लिये भी एक अभियान लम्बित है। ऐसे प्रकरणों को चिन्हित कर एक तिथि तय कर लें, और उसके लिये भी एक अभियान लम्बित है।

अन्त में समीक्षा बैठक में उपस्थित सभी अधिकारी/कर्मचारी से एष्टी भूगर्भिया विषयक जारी शासनादेश/परिषदादेश में दिये गये निर्देशों का प्रत्येक रत्त पर अनुपालन किये जाने हेतु निर्देश दिया गया। तत्पश्चात् अधोहस्ताक्षरी द्वारा बैठक में उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी को धन्यवाद देते हुये बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

(कुणाल सिल्कू)  
जिलाधिकारी,  
सिद्धार्थनगर।

पत्रांक 1359(23) डॉ.ए.ल.आर.सी./2017-18/दिनांक 21 जुलाई, 2017  
प्रतिलिपि-

- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, अनुभाग-5, लखनऊ।
  2. पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर।
  3. अपर जिलाधिकारी (वि. / रा.) सिद्धार्थनगर।
  4. समरत उपजिलाधिकारी जनपद-सिद्धार्थनगर।
  5. समरत क्षेत्राधिकारी जनपद-सिद्धार्थनगर।
  6. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सिद्धार्थनगर।

21/7/17  
जिलाधिकारी,  
सिद्धार्थनगर।

1359 (23)/०२८८

८

D.I.O.

H.I.C.

संग्रहीत